भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2031

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

2031. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या मातृ एवं शिशु देखभाल संबंधी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का विचार है ताकि कार्यान्वयन में तालमेल लाया जा सके और बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास हेतु "सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0" के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लायी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आज तक कितनी प्रगति हुई है तथा लाभार्थियों की राज्य- वार तथा अस्पताल/आंगनवाड़ी केंद्र-वार सूची क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) : 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (सभी आकांक्षी जिलों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों में 14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता के घटक; प्रारंभिक बाल्यावस्था

देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण वितरण के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन और प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्यों/ संघ राज्य के दायरे में आता है।

बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों(एडब्ल्यूडब्ल्यूएस) की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा जिसमें भारत नेट (जहां भी संभव हो) के माध्यम से इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई पुस्तकें और शिक्षण सामग्री इत्यादि शामिल हैं। देश भर में कुल 92108 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार वर्ष-वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2024 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ा के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, पहुंच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती तथा प्रतिरक्षा के लिए कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। यह योजना मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुपोषण, अल्प वजन, ठिगनापन और रक्ताल्पता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। कुपोषण की समस्या से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, इन पोषण मानदंडों को जनवरी,2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, हालांकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता

के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

मिशन पोषण 2.0 के तहत किए गए प्रमुख क्रियाकलापों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन है, जो लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन की ओर ले जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता क्रियाकलापों का आयोजन कर इनके बारे में सूचित कर रहे हैं। समुदाय आधारित आयोजन (सीबीई) ने पोषण पद्धितियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो सामुदाय आधारित आयोजन आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति का क्रियान्वयन कर रहा है।

अनुलग्नक- I

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के संबंध में श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा 02.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2031 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

देश भर में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधि (लाख रुपए में))	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित निधि (लाख रुपए में))	उन्नयन हेतु अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या	कुल आवंटित निधि (लाख रुपए में)
आंध्र प्रदेश	1105	525.58	1763	1057.8	2868	1583.38
बिहार	3566	1697.77	3550	2130	7116	3827.77
छत्तीसगढ़	4750	1957.92	1740	1044	6490	3001.92
गुजरात	1250	750.00	0	0	1250	750.00
हरियाणा	10	3.56	0	0	10	3.56
हिमाचल प्रदेश	100	72.86	25	22.5	125	95.36
जम्मू एवं कश्मीर	86	69.66	50	45	136	114.66
झारखंड	6850	3028.88	0	0	6850	3028.88
कर्नाटक	100	47.39	178	106.8	278	154.19
केरल	250	116.12	1710	1026	1960	1142.12
मध्य प्रदेश	2220	1305.85	9486	5691.6	11706	6997.45
महाराष्ट्र	1150	520.47	589	353.4	1739	873.87
ओडिशा	6000	2920.92	1084	650.4	7084	3571.32
पंजाब	100	56.88	0	0	100	56.88
राजस्थान	213	102.93	340	204	553	306.93
तमिलनाडु	800	395.76	5590	3354	6390	3749.76
तेलंगाना	500	278.16	3529	2117.4	4029	2395.56

उत्तर प्रदेश	2349	1015.80	17845	10707	20194	11722.80
उत्तराखंड	350	306.04	213	191.7	563	497.74
पश्चिम बंगाल	4750	2308.19	609	365.4	5359	2673.59
अरुणाचल प्रदेश	100	71.51	0	0	100	71.51
असम	3963	3285.58	815	733.5	4778	4019.08
मणिपुर	30	20.25	0	0	30	20.25
मेघालय	100	68.90	8	7.2	108	76.10
मिजोरम	100	64.13	988	889.2	1088	953.33
नागालैंड	100	72.14	49	44.1	149	116.24
सिक्किम	100	64.13	335	301.5	435	365.63
त्रिपुरा	200	146.25	245	220.5	445	366.75
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	86	86	86	86.00
गोवा	0	0	24	14.4	24	14.40
पुद्दुचेरी	0	0	65	39	65	39.00
कुल	**41192**	**21273.63**	**50916**	**31402.4**	**92108**	**52676.03**

अनुलग्नक- II

<u>सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के संबंध में श्री सुरेश कुमार शेतकर द्वारा 02.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2031 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

दिनांक 30.06.2024 तक पोषण ट्रैकर आंकड़े के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12905
2.	आंध्र प्रदेश	3272799
3.	अरुणाचल प्रदेश	98460
4.	असम	3336585
5.	बिहार	10923272
6.	छत्तीसगढ़	2714583
7.	दादरा और नगर हवेली - दमन एवं दीव	39772
8.	दिल्ली	688836
9.	गोवा	57683
10.	गुजरात	3676203
11.	हरियाणा	2009647
12.	हिमाचल प्रदेश	581853
	जम्मू एवं कश्मीर	838143

13.		
14.	झारखंड	3464451
15.	कर्नाटक	3928840
16.	केरल	2188686
17.	लद्दाख	18481
18.	लक्षद्वीप	4514
19.	मध्य प्रदेश	7684764
20.	महाराष्ट्र	7011640
21.	मणिपुर	324410
22.	मेघालय	438884
23.	मिजोरम	138669
24.	नागालैंड	136165
25.	ओडिशा	4246696
26.	पुद्दुचेरी	36344
27.	पंजाब	1600841
28.	राजस्थान	4450703
29.	सिक्किम	42025
30.	तमिलनाडु	4066408

31.	तेलंगाना	2080636
32.	त्रिपुरा	365995
33.	चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र	44220
34.	उत्तर प्रदेश	22554563
35.	उत्तराखंड	845448
36.	पश्चिम बंगाल	8710855
	कुल	**10,26,34,979**
